Rajasthan High Court, Jodhpur Limited Competitive Examination for Promotion in the cadre of District Judge Date: 06.05,2012

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

जिला न्यायाधीश केंडर में पदोन्नति हेतु सीमित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक : 06.05.2012

Paper II -- Law- II प्रश्न पत्र II -- विधि -II

Time: Three hours समय: तीन घण्टे

Maximum Marks: 100

पूर्णांक : 100

INSTRUCTIONS

- Write the required particulars only on the flap provided on the top of each answer book; and at no other place.
- If the candidate makes any identification mark at any place in the answer book, it would be treated as using unfair means; and his candidature shall be rejected for the entire examination.
- A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render himself liable to disqualification.
- The question paper is divided into two parts Part A and B. All the questions are to be answered.
- 5. There are 20 objective type questions in part "A" of the question paper, each having four alternative responses. Candidate is only to indicate clearly the mark of the correct response, viz, (A) or (B) or (C) or (D) on the first page of the answer book provided specifically for the purpose; and at no other place. Only one response is to be indicated for each question. Marking of more than one response would be treated as wrong answer.
- 6. Attempt answers in Hindi or in English.
- In the question paper, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as correct.

निर्देश

- अपेक्षित विवरण केवल उत्तर पुस्तिका के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें;
 अन्य किसी स्थान पर नहीं ।
- यदि अश्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अन्दर किसी भी स्थान पर कोई भी पहचान चिन्ह अंकित किया जाता है तो यह अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा; तथा अश्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अश्यर्थिता रह कर दी जायेगी ।
- यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा।
- 4. प्रश्न पत्र "अ" और "ब" दो भागों में विभाजित है । सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है ।
- 5. प्रश्न पत्र के भाग "अ" में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा प्रत्येक के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं । अभ्यर्थी को सही उत्तर यथा, (अ) अथवा (ब) अथवा (स) अथवा (द) उत्तर पुस्तिका में विशिष्ट तौर पर दिये गये प्रथम पृष्ठ पर ही स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने चाहिये; अन्य किसी स्थान पर नहीं । प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर दिया जाना है । एक से अधिक उत्तर दिये जाने की दशा में उत्तर गलत माना जायेगा ।
- उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में दीजिये।
- प्रश्न पत्र मैं अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम मैं कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी माध्यम को सही माना जाये।

Part-A - भाग अ Objective - वस्तुनिष्ठ

Note:- Each question carries 1 mark (Total marks for this part are 20) टिप्पणी:- प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है (इस माग हेतु कुलअंक 20 है)

Which of the following is not an exception as per provisions contained in Chapter IV of Indian Penal Code, 1860:-

An act of a Judge when acting judicially (A)

An act though likely to cause harm but done without criminal intent and (B) good faith, to prevent other harm

An act done to a minor with consent of his parents (C)

An act by a person done by mistake of fact and not by reason of a mistake (D) of law in good faith believing himself justified by law

निम्न में से क्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 4 में दिये 1. गये साधारण अपवाद की श्रेणी में नहीं आता है:-

एक न्यायाधीश का कृत्य, जब वह न्यायिक कार्य कर रहा हो। (H)

ऐसा कृत्य, जिसके करने से अपहानि कारित हो, सम्भाव्य है परन्तु जिसे बिना किसी आपराधिक आशय के कोई अन्य अपहानि के निवारण (**a**) हेतु सदभावपूर्वक किया गया है।

ऐसा कृत्य, जो किसी अवयस्क के साथ उसके परिजनो की सहमति से **(**स) किया जावे।

- ऐसा कृत्य, जो किसी व्यक्ति के द्वारा, तथ्य की भूल के कारण, न कि (द) विधि की भूल के कारण, जो सदभावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हैं, किया जावे।
- The right of private defence of property extends, under the restrictions 2. mentioned in Section 99 of the Indian Penal Code, 1860, to the voluntary causing of death or of any other harm to the wrong-doer, if the offence, the committing of which or attempting to commit which occasions the exercise of the right is of the following description:-

House-breaking by night (A)

Mischief by fire committed on a building used as a human dwelling (B)

(C) Robbery

All the above (D) सम्पति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, भारतीय दण्ड 2. संहिता, 1860 की धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अध्ययधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वैच्छया कारित करने तक का

है, यदि वह अपराध जिसको किये जाने के या किये जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार प्रयोग के किये जाने का अवसर आता है, निम्न भांति का हो:-

रात्री गृह भेदन। (H) मानव आवास के उपयोग में लिए जाने वाले भवन को अग्नि द्वारा रिष्टि। (**a**)

(स) लूट।

- उपरोक्त सभी। **(द)**
- Z while proceeding on a journey, entrust his furniture to A, who is 4. warehouse keeper, in a contract that he shall return the same to him on payment of stipulated charges of the warehouse room. A however dishonestly sells the good, A has committed which of following offence:-(B) Dishonest misappropriation of property

Criminal breach of trust (A) Mischief (D) Cheating (C)

- य यात्रा को हो जाते हुये, अपना फर्नीचर क के पास जो कि 4. भाण्डागारिक है,इस संविदी के अधीन न्यस्त कर जाता है कि वह भाण्डागार के कमरे के लिए ठहराई राशि को दे दिए जाने पर लौटा दिया जायेगा। क उस माल को बेईमानी से बेच देता है। क ने निम्न मे से कौनसा अपराध कारित किया:-
- सम्पति का आपराधिक द्विर्नियोग। आपराधिक न्यास भंग। **(a)** (H)

रिष्टि। (द) (स) छल।

Culpable homicide is not a murder:-

(A) If the offender in exercise of good faith of right of private defence of a person or property, exceeds the power given to him by law and causes the death of a person against whom he is exercising such right of defence without premeditation, and without any intention of doing more harm than necessary

(B) If the person whose death is caused is above the age of 18 years, suffers

death or takes the risk of death with his own consent

(C) If it is committed without premeditation in sudden fight in the heat of passion upon a sudden quarrel and without the offender having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner

(D) If a public servant acting for advancement of justice, exceeds the power given to him by law and causes death by doing an act, which he does not

believe to be lawful and necessary for discharge of his duties

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है:-

(अ) यदि अपराधी, शरीर या सम्पति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को सदभावपूर्वक प्रयोग में लाते हुये विधि द्वारा उसे दी गई शिक का अतिक्रमण कर दे, और पूर्व चिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो, उससे अधिक अपहानि करने के आशय से बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे।

(ब) यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाये, 18 वर्ष से अधिक आयु होते ह्ये, अपनी सम्मित से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु की जोखिम

उठाये ।

(स) यदि वह मानव वध आकस्मिक झगझ जिनत आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लॉभ उठाये बिना या क्रुरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो।

- (द) यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होतु हुये, जो लोक न्याय की अग्रेसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाये और ऐसा कोई कार्य करके, जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसा लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सदभावपूर्वक विश्वास नहीं करता है।
- A intentionally deceives Z into the belief that A has performed A's part of contract made with Z, which he has not performed and thereby dishonestly induces Z to pay money, A commits the offence of:-

(A) Criminal breach of trust

(B) Cheating

(C) Dishonest misappropriation of property

- (D) None of above
- 5. क साशय प्रवंचना करके य को यह विश्वास दिलाता है कि क ने य के साथ की गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है, जबिक उसका पालन उसने नहीं किया है, और एतदद्वारा य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह धन दे। क कौनसा अपराध कारित करता है:-

(अ) आपराधिक न्यास भंग।

(ब) छल।

- (स) सम्पति का आपराधिक दुविर्नियोग। (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।
- 6. Which of offence under following provisions of Indian Penal Code, 1860 is not compoundable?:-

(A) Section 326

(B) Section 323

(C) Section 379

- (D) Section 447
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दिये गये निम्न में से कौनसा अपराध शमनीय नहीं है:-

(अ) धारा 326

(ब) धारा 323

(स) धारा 379

(द) धारा 447

An order of attachment of property of a person proclaimed absconder can 7. be made under Section 83 of the Criminal Procedure Code, 1973 :-

Simultaneously with issuance of proclamation under Section 82 of Cr.P.C. (A)

After issuance of proclamation under Section 82 of Cr.P.C. (B)

Before issuance of proclamation under Section 82 Cr.P.C. (C)

At any time (D)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 83 के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति जिसे 7. भगोड़ा उदघोषित किया जा चुका है कि सम्पति को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया जा सकता है:-

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 में उक्त उद्योषणा के प्रकाशित किये (H)

जाने के साथ साथ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 में उदघोषणा के प्रकाशन के पश्चात्। (**a**) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 में उक्त उदघोषणा के प्रकाशन के पूर्व । (स)

किसी भी समय। **(द)**

According to provisions of Section 221 of Criminal Procedure Code, 1973 8. what course is open to a court while framing charges for a single act or series of acts, which is of such nature that it is doubtful as to which of acts, if proved, will constitute which offence:-

He may frame charge for one of such offences (A)

- He may frame separate charge for all the offences (B)
- He may alternatively frame charge for all such offences (C)
- All the above statements are correct (D)
- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 221 के अन्तर्गत यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार का है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से जो सिद्ध किया जा सके, कई अपराधों में से कौनसा अपराध बनेगा तो 8. दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा 221 के अनुसार न्यायालय के लिए क्या किया जाना उचित होगा:-

वह उक्त में से किसी एक अपराध के बाबत आरोप विरचित करे। (3T)

वह उक्त सभी अपराधों के बारे में पृथकत: आरोप विरचित करे। (**a**) वह उक्त सभी अपराधों के बारे में अनुकल्पत: आरोप विरचित करे। (स)

उपरोक्त सभी वक्तव्य सही है। **(द)**

According to provisions of Section 319 of Criminal Procedure Code, 9. 1973, what course is open to a court when during trial of a criminal case it appears that any person not an accused, has committed such offence for which he could be tried together with other accused therein:-

The court may take cognizance of offence against such person (A)

The court may direct reinvestigation (B)

The court shall proceed to conclude trial against accused charge-sheeted (C)

None of the above (D)

यदि किसी आपराधिक प्रकरण के विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत 9. होता हो कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है, जिसके लिए उस व्यक्ति का अन्य अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के अनसार न्यायालय क्या करेगा:-

न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लेगा। (H)

न्यायालय प्रकरण में पुन: अन्वेषण का आदेश देगा। न्यायालय ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध चार्जशीट दायर की गई है,का (ब) **(**स) विचारण जारी रख उसे पूर्ण करेगा।

उपरोक्त में से कोई नहीं। (द)

- 10. Which of following provisions of Criminal Procedure Code, 1973, bars alteration, modification or review of a judgment or final order in a criminal matter when it has been signed, except to correct a clerical or arithmetical error after same has been signed:-
- (A) Section 482

(B) Section 362

(C) Section 354

- (D) Section 364
- 10. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्न धाराओं में से कौनसी किसी निर्णय, अन्तिम आदेश किसी आपराधिक प्रकरण में जब उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हो तो लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन, संशोधन अथवा पुनिवलोकन किया जाना बाधित करती है:-
- (अ) धारा 482

(ब) धारा 362

(स) धारा 354

- (द) धारा 364
- Can a convict for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, be granted benefit of probation under provisions of the Probation of Offenders Act, 1958:-
- (A) No
- (B) Yes
- (C) Yes, only if he is under eighteen years of age or he is convicted for offence under Sections 26 or 27 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985,
- (D) None of the above is correct
- क्या स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किसी व्यक्ति को अपराधी परीविक्षा अधिनियम, 1958 के तहत परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है:-
- (अ) नहीं।
- (ब) हां।
- (स) हां, यदि वह व्यक्ति 18 साल से कम की आयु का है अथवा उसे स्वापक औषि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 26 अथवा 27 के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया है।
- (द) उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं।
- According to provisions of Section 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, an offence under the said Act is,:-
- (A) non-cognizable and bailable
- (B) cognizable and bailable
- (C) non-cognizable and non-bailable
- (D) cognizable and non-bailable
- स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 के अनुसार उक्त अधिनियम में दिये गये अपराध है:-
- (अ) असंजेय एवं जमानतीय।
- (ब) संजेय एवं जमानतीय।
- (स) असंज्ञेय एवं अजमानतीय।
- (द) संजेय एवं अजमानतीय।
- 13. What, according to Section 138 of Negotiable Instruments Act, 1881, is the period within which a Cheque is to be presented to the Bank for encashment, if its validity period has not expired:-
- (A) One year

(B) Three months

(C) Nine months

- (D) Six months
- 13. यदि किसी चैक की वैधता अविध समाप्त नहीं हुई है तो लिखित पराक्रम्य अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत उसे बैंक के समक्ष भुगतान हेतु कितनी अविध में प्रस्तुत करना आवश्यक है:-
- (अ) एक वर्ष में।

(ब) तीन महिने में।

(स) नो महिने में।

(द) छ: महिने में।

- Which of the following, according to Section 3 of the Schedule Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, constitutes an 14. offence:-
- A takes 'begar' from Z, who is a member of Scheduled Tribes or compels him to do forceful labour or keeps him bonded labour (A)
- A being a member of general caste forces B a member of schedule tribe to (B) eat uneatable or obnoxious substances
- A being a member of general caste forcefully removes clothes of Z a (C) member of schedule caste and parades him naked in public gaze

All the above are correct

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, (D) 1989 की धारा 3 के अनुसार निम्न में से कौनसा अपराध है:-14.

- क के द्वारा य, जो कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, से बेगार लिया जाना अथवा उससे जबरदस्ती श्रम लिया जाना अथवा उसे बंधवा मजदूर (H) रखा जाना।
- क, जो कि सामान्य जाति से सम्बन्ध रखता है, के द्वारा य, जो कि अनुसूचित जन जाति का सदस्य है, को अखाद्य अथवा आपतिजनक पदार्थ **(ब)** को खोने के लिए बाध्य करना।
- अ, जो कि सामान्य जाति का सदस्य है के द्वारा, य, जो कि अनुसुचित जाति का सदस्य है, के कपड़े जबरदस्ती उतरवाना व उससे आम जनता के **(**स) समक्ष निर्वस घुमाना।

उपरोक्त सभी सही है। (द)

Which of the following statements, according to provisions of the 15. Negotiable Instruments Act, 1881, is correct in law:-

An offence under Section 138 of the Act is to be tried summarily

- (A) Notwithstanding anything contained in Cr.P.C., evidence of complainant (B) may be given by him in affidavit
- Notwithstanding anything contained in Cr.P.C., offence under Section 138 (C) of the Act is compoundable

All the above are correct

- लिखित पराक्रम्य अधिनियम, 1881 निम्न में से कौनसा वक्तव्य विधि (D) 15. अनसार सही है:-
- उक्त अधिनियम की धारा 138 में दिये गये अपराध का विचारण (H) संक्षेपतःकिया जायेगा।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा में अन्यथा विनिर्दिष्ट होते हुए भी परिवादी (ब) की साक्ष्य शपथ पत्र पर ली जा सकेगी।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा में अन्यथा विनिर्दिष्ट होते ह्ये भी उक्त अधिनियम की धारा 138 में दिया गया अपराध शमनीय होगा (स)
- उपरोक्त सभी सही है। (द)
- Whether a juvenile in conflict with law can be tried with another person, 16. who is not a juvenile if both have together committed the same offence?

No (B) Yes (A) May be (D)

Yes, with permission of the High Court क्या किसी बाल अपचारी का विचारण किसी अन्य व्यक्ति जो कि बाल (C) अपचारी नहीं है, के साथ ऐसी परिस्थिति में किया जा सकता है जबकि 16. दोनों ने साथ मिल कर अपराध कारित किया हो ?

नहीं (a) हा (31)

- हां, परन्तु उच्च न्यायालय की अनुमति से। (द) सम्भवतः (H)
- which of the following provisions of the Indian Evidence Act, 1872 17. empowers a court to disallow irrelevant question put to a witness:-

Section 148 (B) Section 136 (A) Section 133

(D) Section 142 निम्न में से कौनसा प्रावधान न्यायालय को, किसी गवाह से असंगत होने (C) के आधार पर, पूछे गये प्रश्न की अनुमति न देने की अधिकारिता प्रदान 17. करता है:-

A person guilty of publishing obscene information in electronic form 18. thereby committing offence under Section 67 of the Information Technology Act, 2000, may be sentenced to:-

Imprisonment for a term which may extend to seven years and fine upto (A)

Rs.50,000/-

Imprisonment for a term which may extend to three years and fine upto (B) Rs.5,00,000/-

Imprisonment for a term which may extend to ten years and fine upto (C)

Rs.10,00,000/-

- Imprisonment for a term which may extend to five years and fine upto (D) Rs.1,00,000/-
- किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा इलेक्ट्रोनिक स्वरूप में अश्लील सूचना का 18. प्रकाशन किये जाने पर उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के अन्तर्गत दोषसिद्ध कियें जाने पर दण्डित किया जा सकता है:-

सात साल तक की अवधि के लिए कारावास एवं 50,000/-रूपये तक का (H)

जमोना।

तौन साल तक की अवधि के लिए कारावास एवं 5,00,000/-रूपये तक **(ब)**

दॅस साल तक की अवधि के लिए कारावास एवं 10,00,000/-रूपये तक **(स)** का जुर्माना।

- पांच साल तक की अवधि के लिए कारावास एवं 1,00,000/-रूपये तक **(द)** का जुमोना।
- What sentence can be awarded to a convict for his second offence under 19. Section 136 of the Electricity Act, 2003:-

Imprisonment for a term, which may extend to three years and fine or both (A)

Imprisonment for a term, which shall not be less than six months but (B) which may extend to five years and fine not less than ten thousand rupees

Imprisonment for a term upto two years with fine upto Rs.5,000/-(C)

Imprisonment for a term which shall not be less than three years with fine (D) upto Rs.10,000/-

वियुत अधिनियम की धारा 2003 की धारा 136 के अन्तर्गत कारित 19. कियें गये द्वितीय अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को क्या दण्ड दिया जायेगा:-

(H) तीन साल तक की अवधि का कारावास एवं जुर्माना एवं दोनों।

छ: माह से अन्यून परन्तु अधिकतम पांच वर्ष तक का कारावास एवं (**a**) जुर्माना जो कि दस हजार रूपये की राशि से कम न हो। **(**स)

दौ वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास एवं 5,000/-रूपये तक का

जुर्माना ।

- न्यूनतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास एवं जुर्माना जो (द) 10,000/-से कम राशि का न हो।
- Who is competent to sanction prosecution of a member of Indian 20. Administrative Service born on cadre of a State Government, in relation to offence committed by him while serving on deputation in connection with affairs of the Union of India, which shall be punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988:-
- (A) State Government
- (B) Central Government
- Chief Secretary of the State (C)
- (D) None of above
- राज्य सरकार के कॉडर में सम्मिलित भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे 20. अधिकारी, जिसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध तब कारित किया जब वह प्रतिनियुक्ति पर भारत संघ के कार्य कलापों के सम्बन्ध में सेवा प्रदान कर रहा था, के अभियोजन की स्वीकृति देने हेत् सक्षम है:-
- राज्यं सरकार। (3T)
- केन्द्र सरकार। (ब)
- राज्य के मुख्य सचिव। **(**स)
- **(द)** उपरोक्त में से कोई नहीं।

PART-B - भाग-ब SUBJECTIVE/NARRATIVE - विषयनिष्ठ/वर्णनात्मक

Note:- Questions No.1 to 10 carry 6 marks each and Questions No.11 and 12 carry 10 marks each (total marks for this part are 80) टिप्पणी:- प्रश्न सं.1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक तथा प्रश्न सं.11 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है। (इस भाग हेतु कुलअंक 80 है)

Q.1 Write a short note on distinction between 'culpable homicide amounting to murder' and 'culpable homicide not amounting to murder'.

6 marks

प्र.1 "आपराधिक मानव-वध जो हत्या है" एवं "आपराधिक मानव-वध जो हत्या नहीं है" में विभेद करते हुये एक लघु टिप्पणी लिखें।

6 3i布

Q.2 What are the conditions enumerated in proviso to Exception 1 of Section 300 of the Indian Penal Code, 1860, subject to which defence can be set up by accused that he lost power of self-control due to grave and sudden provocation given by victim?

6 marks

प्र.2 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 300 के अन्तर्गत दिये गये अपवाद के परन्तुकों के अधीन दी गई किन शर्तों के अनुसार अभियुक्त द्वारा उसे गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया था, की प्रतिरक्षा ले सकेगा?

6 अंक

Q.3 What is difference between examination of accused under Section 313 of Criminal Procedure Code, 1973 to explain circumstances appearing in evidence against him and statement of an accused on oath under Section 315 in disproof of charges made against him?

6 marks

प्र.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्त का अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों का स्पष्टीकरण के लिए परीक्षण एवं धारा 315 में अभियुक्त द्वारा शपथ पर उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को नासाबित करने के लिए दी जाने वाली साक्ष्य में क्या अन्तर है?

6 अंक

Q.4 What are the special provisions in the Indian Evidence Act, 1872 regarding admissibility of electronic record? In what circumstances, information contained in an electronic record can be accepted in evidence in the proceedings before a court? Discuss with reference to relevant provisions.

6 marks

प्र.4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में इलेक्ट्रोनिक अभिलेख की ग्राह्मता के बारे में क्या विशेष प्रावधान किये गये हैं? किसी न्यायालय के सम्मुख कार्यवाही के दौरान किन परिस्थितियों में इलेक्ट्रोनिक अभिलेख में उपलब्ध सूचना साक्ष्य में स्वीकार की जा सकती हैं? सम्बंधित प्रावधानों के सन्दर्भ में विवेचन करें।

6 अक

Q.5 Who is accomplice? Can conviction of an accused be recorded on the testimony of an accomplice? In what circumstances, pardon can be tendered to an accomplice? Discuss in the context of Section 306 of the Criminal Procedure Code, 1973 and Section 133 of the Indian Evidence Act, 1872.

6 marks

प्र.5 सह-अपराधी कौन है? क्या किसी अभियुक्त को सह-अपराधी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है? किन परिस्थितियों में सह-अपराधी को क्षमादान दिया जा सकता है? दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 के सन्दर्भ में विवेचना करें।

6 अंक

Q.6 What is dying declaration and in what circumstances an accused can be convicted on that basis?

6 Marks

प्र.6 मृत्युकालिक कथन क्या है तथा किन परिस्थितियों में किसी अभियुक्त की दीषसिद्धि उसके आधार पर की जा सकती है? 6 अंक

Q.7 What are the objects of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000? Mention the powers of Juvenile Justice Board? 6 marks

प्र.7 किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का क्या उद्धेश्य है? किशोर न्यायिक बोर्ड की शक्तियों का उल्लेख कीजिए?

6 अंक

Q.8 Answer any two of the following:-

(A) Whether an accused can be convicted for offence under Section 201 of the Indian Penal Code, 1860 alone without there being his conviction or conviction of any co-accused for any substantive offence? If yes, what punishment can be awarded for such offence?

3 marks

(B) What is the significance of 'motive' in a criminal case?

3 marks

(C) What is the distinction between offences of 'giving false statement on oath to a public servant' and 'giving false evidence on oath'?

3 marks

प्र.8 निम्न में से किसी दो का उतर दे :-

(अ) क्या किसी अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 201 में दिये गये अपराध मात्र के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है जबिक उसको अथवा किसी सह-अभियुक्त को किसी मुख्य अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो? यदि हां तो उस अपराध हेतु क्या दण्ड दिया जा सकेगा?

3 अंक

(ब) किसी आपराधिक प्रकरण में "हेतुक" का क्या महत्व है?

3 当

(स) "किसी लोक सेवक के सम्मुख शपथ पर मिथ्या कथन करने" एवं "शपथ पर मिथ्या साक्ष्य देने "के अपराधों में विभेद कीजिए।

3 当

Q.9 Answer any one of the following:-

(A) What precaution an Investigating Officer is required to take while making entry into a building, search, seizure and arrest as per the requirement of Section 42 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985?

(B) What conditions of law an Investigating Officer should abide by while making search of a person, as per requirement of Section 50 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985?

6 marks

प्र.9 निम्न में से किसी एक का उत्तर दे :-

(अ) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42 के अनुसार अन्वेषण अधिकारी को किसी भवन में प्रविष्ठ होने, तलाशी लेने, कोई जब्ती अथवा गिरफ्तारी करने से पूर्व क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

(ब) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 के अनुसार अन्वेषण अधिकारी को किसी व्यक्ति की तलाशी लेते समय विधिनुसार कौनसी शर्तों की पालना करनी चाहिए?

6 अंक

Q.10 Write a short note on any two of the following:-

(A) Common intention and common object

- (B) Duties of Probation Officer under the Probation of Offenders Act, 1958
- (C) Dishonest misappropriation of property and criminal breach of trust
- (D) Kidnapping and abduction

6 marks

प्र.10 निम्न में से किसी दो पर तघू टिप्पणी लिखिये:-

(अ) सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य

(ब) अपराधी परीविक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत परीविक्षा अधिकारी के कर्तव्य

(स) दुर्विनियोग एवं आपराधिक न्यास भंग

(द) ॲपहरण एवं व्यपहरण

6 अंक

Write a note in about 300 words regarding involuntary subjection of a Q.11 person to narco-analysis test, polygraph test and brain mapping with special reference to judgment of the Supreme Court in Smt. Selvi Vs. State of Karnataka - AIR 2010 SC 1974

10 marks

OR

Write a note in about 300 words on the scope of inherent powers of the High Court under Section 482 of the Criminal Procedure Code, 1973 with special reference of the judgment of the Supreme Court in State of Haryana Vs. Bhajan Lal - AIR 1992 SC 604

प्र.11 किसी व्यक्ति को उसकी बिना इच्छा के नारको एनेलेसिस टेस्ट पोलीग्राफ टेस्ट एवं ब्रेन मेपिंग किये जाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती सेलवी बनाम कर्नाटक सरकार- ए.आई.आर. 2010 सुप्रीम कोर्ट 1974 में दिये गये निर्णय का विशेष सन्दर्भ लेते हुये लगभग 300 शब्दों में एक टिप्पणी लिखे।

10 3 事

अथवा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में दिये गये उच्च न्यायालय को अंतर्निहित अधिकार के बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल ए.आई.आर.1992 सुप्रीम कोर्ट 604 में दिये गये निर्णय का विशेष सन्दर्भ लेते ह्ये लगभग 300 शब्दों में एक टिप्पणी लिखे।

10 3 事

Satyawati Devi was married to Ramnath on 16.04.2001. Two children, Q.12 Arpit and Pankaj, were born out of this wedlock in the years 2003 and 2007 respectively. Ramnath used to quarrel with Satyawati on trifle issues. Ramnath and his mother Kusum Devi were not satisfied with the dowry given in the marriage. Devkishan, father-in-law of Satyawati, however, protected her on several occasions and asked his own wife Kusum Devi and son Ramnath not to harass and torture Satyawati for bringing inadequate dowry. Even then, Ramnath and Kusum subjected Satyawati to cruelty and mal-treatment. Exasperated by circumstances, Satyawati committed suicide on 09.09.2010. Sitaram, father of deceased Satyawati, lodged a first information report against her husband, motherin-law and father-in-law.

> On basis of the FIR lodged by Sitaram, father of Satyawati, investigation was made and Smt. Kusum, Shri Devkishan and Shri Ramnath were charge-sheeted. The competent court took cognizance of the offence and the case was committed to the Court of Sessions. The Sessions Court framed the necessary charges against all the accused persons. The accused denied the charges and desired trial. During the course of trial, Ramkumar, Hari Kumar and Smt. Kamla (neighbours of the accused persons), Sitaram (father of the deceased), Radha Bai (mother of the deceased) and Sadhna (sister of the deceased) were examined. All these witnesses stated about torture and harassment of deceased Satyawati by Ramnath and Smt. Kusum for dowry. Nothing was said by these witnesses against Shri Devkishan. The accused were afforded opportunity by the court to explain the circumstances appearing against them in prosecution evidence. Final order is passed by the court.

> Write a judgment briefly discussing as to for what offence the accused persons are charged and ultimately what order is passed, either of acquittal or 10 marks of conviction, giving reasons therefor.

प्र.12 सत्यवती देवी का विवाह दिनांक 16.04.2001 को रामनाथ के साथ हुआ। इस विवाह से दो बच्चे, अपिंत एवं पंकज, क्रमशः वर्ष 2003 व 2007 में पैदा हुये। रामनाथ छोटी-छोटी बार्तो को लेकर सत्यवती के साथ झगड़ा करता था। रामनाथ तथा उसकी मां कुसुम देवी विवाह में दिये गये दहेज से सन्तुष्ट नहीं थे। परन्तु सत्यवती के ससुर देविकशन द्वारा कई अवसरों पर उसका बचाव किया गया एवं अपनी पत्नी कुसूम देवी व पुत्र रामनाथ को

पर्याप्त दहेज न लाने के कारण उसे तंग व परेशान नहीं करने के लिए कहा। रामनाथ एवं कुसुम देवी फिर भी उसके साथ कुरता तथा दुर्व्यवहार करते रहे। परिस्थितियों से व्यथित होकर सत्यवती ने दिनांक 09.09.2010 को आत्महत्या कर ली। सत्यवती के पिता सीताराम द्वारा उसके पति, सास एवं ससुर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई।

सत्यवती के पिता सीता राम द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया गया और श्रीमित कुसुम , देविकशन तथा रामनाथ के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया और केस सत्र न्यायालय में कियट किया गया। सत्र न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोप अस्वीकार किये गये और विचारण चाहा गया। विचारण के दौरान रामकुमार, हरीकुमार एवं श्रीमित कमला (अभियुक्तगण के पडोसी), सीताराम (मृतका का पिता), राधाबाई (मृतका की माता) और साधना (मृतका की बहिन) को अभियोजन द्वारा परिक्षित किया गया। इन सभी साक्षियों ने रामनाथ और कुसम देवी द्वारा मृतका सत्यवती देवी को दहेज हेतु यातना देने व परेशान करने का कथन किया। इन साक्षियों द्वारा देविकशन के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अभियोजन साक्ष्य में उनके विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया गया। न्यायालय द्वारा अनितम आदेश पारित किया जाता है।

कारणों सहित निर्णय लिखिए यह दर्शाते हुये कि अभियुक्तगण के विरूद्ध किस अपराध का आरोप विरचित किया गया तथा अन्तत: क्या आदेश, उनकी दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति, के बाबत पारित किया गया 10 अंक
